भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 14

22.07.2024 को उत्तर के लिए

हरित ऋण कार्यक्रम

14. श्री राजेशभाई नारणभाई चुड़ासमा :
श्री प्रदीप कुमार सिंह :
श्री सतपाल ब्रह्मचारी :
श्री धर्मबीर सिंह :
श्री वाई. एस. अविनाश रेड्डी :
श्री जगदम्बिका पाल :
डॉ. राजीव भारद्वाज :
श्री मनोज तिवारी :
श्री भर्तृहरि महताब :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम (जीसीपी) के कार्यान्वयन का हिमाचल प्रदेश के जिले-वार ब्यौरा सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) जीसीपी के मुख्य उद्देश्य क्या हैं और इससे क्या परिणाम प्राप्त होने की आशा है;

(ग) जीसीपी के अंतर्गत चिन्हित विशिष्ट क्षेत्रों और कार्यकलापों का ब्यौरा क्या है;

(घ) ग्रीन क्रेडिट क्रियाकलापों के अंतर्गत कार्यों के पंजीकरण, निधि जारी करने और उनकी निगरानी करने संबंधी निर्धारित मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के अंतर्गत देश विशेष रूप से बिहार के अररिया और हरियाणा राज्य के सोनीपत संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने ग्रीन क्रेडिट पहल के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए कोई कार्यक्रम शुरू किया है; और

(छ) क्या उत्तर प्रदेश राज्य में पर्यावरण अनुकूल आदतों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए कोई पहल की गई है/किए जाने का विचार है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (छ) : केन्द्र सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत दिनांक 12 अक्तूबर, 2023 को ग्रीन क्रेडिट नियम, 2023 अधिसूचित किए हैं, जिसका उद्देश्य स्वैच्छिक आधार पर पर्यावरण के अनुकूल कार्यकलापों को प्रोत्साहित करना है, जिनके परिणामस्वरूप ग्रीन क्रेडिट जारी किए जाते हैं।

आरंभ में वन विभागों के नियंत्रण और प्रबंधन के अधीन आने वाली अवक्रमित भूमि पर स्वैच्छिक वृक्षारोपण/पारिस्थितिकी बहाली की परिकल्पना की गई है। मंत्रालय द्वारा दिनांक 22 फरवरी, 2024 को 'वृक्षारोपण के संबंध में ग्रीन क्रेडिट की गणना के लिए पद्धति' हेतु अधिसूचना प्रकाशित की गई है **(अनुबंध-1)** ।

प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का राज्य वन विभाग, वन विभाग नियंत्रण और प्रबंधन के अधीन आने वाले उन अवक्रमित भूखंडों को अभिज्ञात करता है जिन्हें ग्रीन क्रेडिट सृजन के प्रयोजन से वृक्षारोपण/पारिस्थितिकीय बहाली हेतु उपलब्ध कराया जाता है।

वन विभाग/वृक्षारोपण हेतु भूखंड/निकाय के पंजीकरण, निकाय द्वारा भूखंडों के चयन, मांग नोट सृजन, निकाय द्वारा भुगतान, ग्रीन क्रेडिट जारी करने और उनकी निगरानी को सुगम बनाने के उद्देश्य से ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम (जीसीपी) पोर्टल (https://moefcc-gcp.in/) तैयार किया गया है। राज्य कार्यन्वयन एजेंसी के पंजीकरण हेतु दिशानिर्देशों, वृक्षारोपण हेतु भूखंडों और वित्तीय एवं लेखाकरण प्रक्रिया का ब्यौरा **अनुबंध-2** में दिया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वृक्षारोपण/पारिस्थितिकीय बहाली की निगरानी के लिए तौर-तरीके जारी किए गए हैं।

मंत्रालय द्वारा ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम हेतु केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, विशेषज्ञों, उद्योग जगत, अनुसंधान संस्थानों और शैक्षिक संस्थानों तथा अन्य हितधारकों के साथ विचार-विमर्श/संवाद किए गए हैं। जीसीपी पोर्टल - URL: https://moefcc-gcp.in/ - तैयार किया गया है और उसे प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुगम बनाया गया है।

दिनांक 16 जुलाई, 2024 तक जीसीपी के अंतर्गत वृक्षारोपण भूखंडों के पंजीकरण की स्थिति **अनुबंध-3** में दी गई है।

मंत्रालय द्वारा मिशन LiFE (पर्यावरण के लिए जीवन शैली) शुरू किया गया है जिसका उद्देश्य पर्यावरण की दृष्टि से जागरूक जीवन शैली को बढ़ावा देना तथा व्यक्तियों को अपने दैनिक जीवन में सरल, जलवायु अनुकूल कार्यकलाप करने हेतु प्रोत्साहित करना है। जन-सामान्य को जागरूक बनाने हेतु कई मंत्रालयों/विभागों द्वारा मिशन LiFE के संबंध में जागरूकता सृजन और जन-संपर्क कार्यकलाप शुरू किए गए हैं। लोगों में जागरूकता बढ़ाने तथा उन्हें जलवायु अनुकूल जीवन शैली अपनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए मंत्रालय द्वारा पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम (ईईपी) और पर्यावरणीय सूचना जागरूकता क्षमता संवर्धन एवं आजीविका कार्यक्रम (ईआईएसीपी) जैसे कई कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। मंत्रालय द्वारा पर्यावरण शिक्षा, जागरूकता और प्रशिक्षण (ईईएटी) योजना कार्यान्वित की जा रही है, जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ पर्यावरण के संबंध में जागरूकता को बढ़ावा देना तथा पर्यावरण संरक्षण में भागीदारी के लिए छात्रों को एकजुट करना है।

*****

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26022024-252377
CG-DL-E-26022024-252377

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 844] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 26, 2024/फाल्गुन 7, 1945
No. 844] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 26, 2024/PHALGUNA 7, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2024

का.आ. 884(अ).—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3,6, 25 के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) में तारीख 12 अक्टूबर, 2023 की अधिसूचना संख्या का.आ. 4458 (अ) द्वारा प्रकाशित ग्रीन क्रेडिट नियम, 2023 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम रूप में कहा गया है) बनाए थे;

और, उक्त नियमों के नियम 5 में उपबंध है कि केंद्रीय सरकार, प्रशासक की सिफारिश पर, उक्त नियमों के अधीन की गई किसी भी क्रियाकलाप के संबंध में ग्रीन क्रेडिट की गणना के लिए कार्यप्रणाली को अधिसूचित करेगी;

अत: अब, केंद्रीय सरकार, ग्रीन क्रेडिट नियम, 2023 के नियम 5 के उप-नियम (1) के अनुसरण में, प्रशासक की सिफारिश पर, वृक्षारोपण के संबंध में ग्रीन क्रेडिट की गणना के लिए निम्नलिखित पद्धति को अधिसूचित करती है, अर्थात्: -

1. प्रत्येक राज्य और संघ राज्यक्षेत्र के वन विभाग अपने प्रशासनिक नियंत्रण और प्रबंधन के अधीन खुले वन और झाड़ीदार भूमि, बंजर भूमि और जलग्रहण क्षेत्रों सहित अवक्रमित भूमि क्षेत्र की अभिज्ञात करेंगे, जिन्हें वृक्षारोपण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें उक्त नियमों के अधीन ग्रीन क्रेडिट के सृजन के प्रयोजनों के लिए देश भर में हरित आवरण की वृद्धि करने के लिए क्रियाकलापों को बढ़ावा दिया जा सके।

2. पैरा 1 के अधीन वृक्षारोपण के लिए पहचान किए गए भूमि क्षेत्र को सभी ऋणभारों से मुक्त होना चाहिए और इसका आकार पांच हेक्टेयर या उससे अधिक होना चाहिए।

3. ग्रीन क्रेडिट के सृजन के प्रयोजनों के लिए वृक्षारोपण करने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति या संस्था प्रशासक को आवेदन कर सकती है।

4. पैरा 3 के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, प्रशासक पैरा 1 में निर्दिष्ट किसी भी भूमि की पहचान करेगा और आवेदक को सौंपेगा और उसे उक्त नियमों के अधीन ग्रीन क्रेडिट के सृजन के लिए वृक्षारोपण करने हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहेगा।

5. पैरा 4 के अधीन प्रस्ताव प्राप्त होने पर, प्रशासक एक डिमांड नोट तैयार करेगा और उसे आवेदक को जारी करेगा, जिसमें वृक्षारोपण की लागत और प्रशासनिक व्यय, यदि कोई हो, को डिमांड नोट में निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रशासक को भुगतान किया जाना सम्मिलित होगा।

6. आवेदक बैंक ड्राफ्ट या भुगतान के ऐसे अन्य साधनों, जो प्रशासक द्वारा तय किया जाए, के माध्यम से डिमांड नोट में निर्दिष्ट अवधि से पहले प्रशासक को राशि का भुगतान करेगा।

7. पैरा 6 के अधीन राशि के भुगतान पर, प्रशासक वन विभाग को प्रबंधन योजना या कार्य योजना के अनुरूप वृक्षारोपण करने का निदेश देगा और भुगतान की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर वक्षारोपण कार्य पूरा किया जाएगा।

8. वृक्षारोपण पूरा होने पर, वन विभाग इस संबंध में प्रशासक को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और आवेदक को वृक्षारोपण पूरा होने का प्रमाण पत्र जारी करेगा।

9. पैरा 8 के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने पर, प्रशासक, वृक्षारोपण के मूल्यांकन और सत्यापन के पश्चात्, उक्त नियमों के अधीन निर्दिष्ट भूमि क्षेत्र में लगाए गए वृक्षों की कुल संख्या और वृक्षारोपण क्रियाकलाप के पूरा होने की रिपोर्ट और प्रमाणन के आधार पर ग्रीन क्रेडिट सृजित कर सकता है और आवेदक को जारी कर सकता है।

10. ग्रीन क्रेडिट की गणना संबंधित वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के पूरा होने के संबंध में किए गए प्रमाणन के पश्चात्, स्थानीय वृक्ष-जलवायु और मिट्टी की स्थितियों के आधार पर प्रति हेक्टेयर 1100 वृक्षों के न्यूनतम घनत्व के अधीन ऐसे भूमि क्षेत्र पर वृक्षारोपण के माध्यम से उगाए गए प्रति वृक्ष के लिए एक ग्रीन क्रेडिट की दर से की जाएगी।

11. उक्त नियमों के अधीन सृजित ग्रीन क्रेडिट का आदान-प्रदान वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), यथास्थिति, के अधीन गैर-वानिकी प्रयोजनों के लिए वन भूमि के अपवर्तन के मामले में प्रतिपूरक वनीकरण के अनुपालन को पूरा करने के लिए किया जा सकता है।

12. उक्त नियमों के अधीन वृक्षारोपण के बदले में सृजित ग्रीन क्रेडिट का उपयोग पर्यावरण, सामाजिक और शासन नेतृत्व संकेतक के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत रिपोर्टिंग के लिए किया जा सकता है।

[फा. सं. एचएसएम-12/24/2023-एचएसएम (पीटी 2)-पार्ट (1)]

नमिता प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd February, 2024

S.O. 884(E).— Whereas, the Central Government made the Green Credit Rules, 2023 (hereinafter referred to the said Rules) under section 3,6, 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) vide notification number S.O. 4458(E), dated the 12th October, 2023 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub Section (ii);

AND WHEREAS, rule 5 of the said Rules provides that the Central Government shall, on the recommendation of the Administrator, notify the methodology for calculating the green credit in respect of any activity undertaken under the said Rules;

NOW, THEREFORE, in pursuance of sub-rule (1) of rule 5 of the Green Credit Rules, 2023, the Central Government, on the recommendation of the Administrator, hereby notifies the following methodology, for calculation of green credit in respect of tree plantation, namely: -

1. The Forest Department of every State and Union territory shall identify degraded land parcels, including open forest and scrub land, wasteland and catchment areas, under their administrative control and management, which shall be made available for tree plantation to promote activities for increasing the green cover across the country for the purposes of generation of Green Credit under the said Rules.

2. The land parcel identified for plantation under paragraph 1 must be free from all encumbrances and must have size of five hectares or above.

3. Any person or entity desirous of undertaking tree plantation for the purposes of generation of Green Credit may apply to the Administrator.

4. On receipt of the application under paragraph 3, the Administrator shall identify any land referred to in paragraph 1 and assign the same to the applicant and require him to submit a proposal for undertaking tree plantation for generation of Green Credit in lieu thereof under the said Rules.

5. On receipt of the proposal under paragraph 4, the Administrator shall prepare and issue a demand note to the applicant which shall include the cost of tree plantation and administrative expenses, if any, to be paid to the Administrator within a period specified in the demand note.

6. The applicant shall pay the amount to the Administrator on or before the period specified in the demand note through a bank draft or such other means of payment as may be decided by the Administrator.

7. On the payment of the amount under paragraph 6, the Administrator shall direct the Forest Department to carry out tree plantation in line with the management plan or working plan and shall be completed within a period of two years from the date of payment.

8. On completion of tree plantation, the Forest Department shall submit a report in this regard to the Administrator and issue a certificate of completion of tree plantation to the applicant.

9. On receipt of the report under paragraph 8, the Administrator, after evaluation and verification of the tree plantation activity may generate and issue Green Credit to the applicant under the said Rules, based on the total number of trees planted in assigned land parcel and on the report and certification of completion of tree plantation activity.

10. The Green Credit shall be calculated at the rate of one Green Credit per tree grown through the tree plantation on such land parcel, subject to minimum density of 1100 trees per hectare, based on the local silvi-climatic and soil conditions, on the certification of completion of tree plantation provided by the Forest Department concerned.

11. The Green Credit generated under the said Rules, may be exchanged for meeting the compliance of the compensatory afforestation in case of diversion of forest land for non-forestry purposes under the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 (69 of 1980), as applicable.

12. The Green Credit generated in lieu of tree plantation under the said Rules may be used for reporting under environmental, social and governance leadership indicator or under corporate social responsibility under the applicable rules made under any law for the time being in force.

[F. No. HSM-12/24/2023-HSM(pt2)-Part(1)]

NAMEETA PRASAD, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.02.26 21:01:23 +05'30'

अनुलग्नक- II

कार्यान्वयन एजेंसी (वन विभाग) के पंजीकरण के लिए दिशानिर्देश

1. पंजीकरण फॉर्म प्राप्त करें:

- https://www.moefcc-gcp.in/ पोर्टल पर रजिस्टर पर क्लिक करें:
- उपयोगकर्ता प्रकार का चयन कार्यान्वयन एजेंसी (वन विभाग) के रूप में करें।

2. कार्यान्वयन एजेंसी की जानकारी भरें:

- वन विभाग के कार्यालय का नाम निर्दिष्ट टेक्स्ट फ़ील्ड में दर्ज करें उदाहरण पीसीसीएफ मध्य प्रदेश।
- ड्रॉपडाउन मेनू से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का चयन करें, इस मामले में मध्य प्रदेश
- दिए गए टेक्स्ट फ़ील्ड में प्रधान कार्यालय का पता भरें।

3. बैंक खाते का विवरण दर्ज करें:

- बैंक का नाम: टेक्स्ट फ़ील्ड में बैंक का नाम दर्ज करें।
- खाता संख्या: संख्यात्मक फ़ील्ड में खाता संख्या दर्ज करें।
- IFSC कोड: टेक्स्ट फ़ील्ड में IFSC कोड भरें।
- दिए गए अटैचमेंट फ़ील्ड का उपयोग करके रद्द किए गए चेक की एक प्रति संलग्न करें ।

4. नोडल अधिकारी की जानकारी उपलब्ध कराएं:

- टेक्स्ट फ़ील्ड में नोडल अधिकारी का नाम दर्ज करें।
- टेक्स्ट फ़ील्ड में नोडल अधिकारी का पदनाम निर्दिष्ट करें।
- संख्यात्मक फ़ील्ड में नोडल अधिकारी का वैकल्पिक लैंडलाइन फोन नंबर दर्ज करें।
- संख्यात्मक फ़ील्ड में नोडल अधिकारी का मोबाइल फोन नंबर दर्ज करें (अनिवार्य)
- ईमेल फ़ील्ड में नोडल अधिकारी का ईमेल पता भरें (अनिवार्य)

5. जिला कार्यान्वयन अधिकारियों को जोड़ें:

- एकाधिक जिला कार्यान्वयन अधिकारी जोड़ने के लिए विकल्प पर क्लिक करें।
- प्रत्येक जिला कार्यान्वयन अधिकारी के लिए, अलग से भरें:
    - टेक्स्ट फ़ील्ड में उनका नाम दर्ज करें।
    - टेक्स्ट फ़ील्ड में उनका पदनाम निर्दिष्ट करें।

- टेक्स्ट फ़ील्ड में उस जिले का नाम दर्ज करें जिसके लिए वे निर्दिष्ट किए गए हैं।
- टेक्स्ट फ़ील्ड में वह प्रमंडल बताएं जिसमें उन्हें नियुक्त किया गया है।
- संख्यात्मक फ़ील्ड में जिला कार्यान्वयन अधिकारी का लैंडलाइन फोन नंबर दर्ज करें (वैकल्पिक)।
- संख्यात्मक फील्ड में जिला कार्यान्वयन अधिकारी का मोबाइल फोन नंबर दर्ज करें।
- ईमेल फ़ील्ड में जिला कार्यान्वयन अधिकारी का ईमेल पता भरें।

6. पंजीकरण जमा करें:

- सभी जानकारी सही-सही भरने के बाद पंजीकरण फॉर्म जमा करें।

7. पंजीकरण की पुष्टि

पंजीकरण विवरण आईसीएफआरई को भेजा जाएगा जो पंजीकरण को मंजूरी देगा। एक बार पुष्टि होने के बाद, पंजीकरण की पुष्टि करते हुए एक पुष्टिकरण संदेश पॉप अप होना चाहिए। पंजीकरण के विवरण के साथ दिए गए ईमेल पते पर एक ईमेल भी भेजा जाएगा।

इससे कार्यान्वयन एजेंसी (वन विभाग) के लिए पंजीकरण प्रक्रिया पूरी हो जाती है, साथ ही नोडल अधिकारी और जिला कार्यान्वयन अधिकारियों के लिए विवरण प्रस्तुत करना भी पूरा हो जाता है।

कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा वृक्षारोपण ब्लॉक के पंजीकरण के लिए दिशानिर्देश

1. लॉग इन:

- मेल पर प्राप्त पंजीकरण विवरण का उपयोग करके पोर्टल (https://www.moefcc-gcp.in/) पर पहुंचें।

2. वृक्षारोपण ब्लॉकों को पंजीकृत करें:

क) वृक्षारोपण ब्लॉक का विवरण दर्ज करें:

- राज्य का नाम दर्ज करें (ड्रॉप-डाउन मेनू से)
- जिले का नाम चुनें (ड्रॉप-डाउन मेनू से)
- क्षेत्रफल हेक्टेयर में दर्ज करें (कम से कम 5 हेक्टेयर होना चाहिए)
- प्रमंडल, रेंज, वृक्ष वितान घनत्व भरें (अनिवार्य)
- बीट और कम्पार्टमेंट नंबर (अल्फ़ान्यूमेरिक फ़ील्ड के रूप में) दर्ज करें (वैकल्पिक)

ख) बेसलाइन डेटा दर्ज करें (वैकल्पिक)

- मृदा विवरण: मृदा प्रकार, मृदा की औसत गहराई, आदि (200 शब्दों तक)
- ढलान और भूभाग विशेषताएँ: ढलानदार , मैदानी, पहाड़ी, लहरदार, अन्य, आदि (200 शब्दों तक)
- भूवैज्ञानिक विशेषताएं (200 शब्दों तक)
- जल विज्ञान संबंधी स्थिति: वर्षा, जल स्त्रोत की मौजूदगी, जल निकासी आदि (200 शब्दों तक)
- वन का प्रकार (200 शब्दों तक)

ग) आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें:

- KML फ़ाइल, अनिवार्य
- प्रस्तावित स्थान की जियोटैग्ड तस्वीरें (न्यूनतम 3 तस्वीरें) (वैकल्पिक)

घ) वन विभाग की अंडरटेकिंग को पूरा करें:

- पुष्टि करें कि क्या भूमि सभी प्रकार के ऋण भार से मुक्त है (बॉक्स पर निशान लगाएं - हां/नहीं)

- पुष्टि करें कि क्या भूमि वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त है (बॉक्स पर निशान लगाएं - हां/नहीं)

3. जानकारी प्रस्तुत करें:

- सभी दर्ज जानकारी सत्यापित करने के बाद, "सबमिट" बटन पर क्लिक करें।

4. पुष्टि:

- प्रस्तुत करने पर, एक पॉप-अप संदेश आएगा जो पुष्टि करेगा कि प्रशासक द्वारा सत्यापन के बाद पंजीकरण पूरा हो जाएगा।
- इसके अतिरिक्त, भूमि पंजीकरण विवरण के साथ एक ईमेल एसएनओ और डीआईओ के पंजीकृत ईमेल पते पर भेजा जाता है।

फा. सं. एचएसएम-12/24/2023- एचएसएम(पार्ट 2)-पार्ट(1), ई-220847

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

एचएसएम प्रभाग

छठा तल, जल विंग
इंदिरा पर्यावरण भवन
जोर बाग रोड
नई दिल्ली-110003

दिनांक: 10 जुलाई, 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय: ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के अंतर्गत अवक्रमित वनों के पारिस्थितिकी बहाली घटक के अंतर्गत वित्तीय एवं लेखा प्रक्रियाओं, निधि प्रवाह तंत्र, रिकार्ड रखने और लेखापरीक्षा के संबंध में दिशानिर्देश।

ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के अंतर्गत वृक्षारोपण घटक के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत तौर-तरीकों को ओएम संख्या एचएसएम-12/24/2023-एचएसएम (पार्ट-2)- पार्ट (i), ई-220847 दिनांक 22 फरवरी 2024 के माध्यम से सूचित किया गया है। वृक्षारोपण घटक के आरंभ से अंत तक कार्यान्वयन को सक्षम करने के लिए एक जीसीपी पोर्टल (https://moefcc-gcp.in/) विकसित किया गया है, जिसमें राज्य वन विभाग द्वारा भूमि खंड का पंजीकरण, प्रशासक (आईसीएफआरई) द्वारा भूमि खंड का सत्यापन और अनुमोदन, संस्थाओं द्वारा भूमि खंड का चयन, लागत अनुमान प्रस्तुत करना, मांग नोट तैयार करना आदि शामिल हैं।

2. प्रशासक (आईसीएफआरई) और राज्य वन विभाग द्वारा निम्नलिखित वित्तीय और लेखा प्रक्रियाओं का पालन किया जाए:

I. राज्य वन विभाग को निधि संवितरण:

i ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के लिए प्रशासक, राज्य नोडल अधिकारी (एसएनओ), कार्यान्वयन अधिकारी (आईओ) और संबंधित रेंज वन अधिकारी द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंक में अलग से बचत खाता खोला और अनुरक्षित किया जाएगा।

ii. निकाय से धनराशि प्राप्त होने के बाद, संबंधित एसएनओ जीसीपी प्रशासक को वार्षिक आधार पर धनराशि जारी करने के लिए जी.सी.पी. पोर्टल पर अनुरोध प्रस्तुत करेगा। एस.एन.ओ. द्वारा जी.सी.पी. प्रशासक को ई-मेल के माध्यम से भी निधि जारी करने हेतु अनुरोध प्रस्तुत किया जा सकता है, जब तक कि जी.सी.पी. पोर्टल पर निधि मांग इंटरफेस विकसित नहीं हो जाता।

iii. निधि जारी करने हेतु अनुरोध प्राप्त होने के बाद, प्रशासक अनुरोध की जांच करेगा और उसके बाद एसएनओ को निधि जारी करेगा।

iv. बाद में एसएनओ को वार्षिक किस्तों में निधियां जारी की जाएंगी, जो कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 23.02.2024 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1-20/2023-आरटी के अनुसार वृक्षारोपण कार्य की प्रगति के अनुसार होगी। ये निधियां राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित उपयोग प्रमाण पत्र, प्रगति रिपोर्ट और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर जारी की जाएंगी।

v. प्रशासक धनराशि जारी होने के तुरंत बाद जीसीपी पोर्टल पर स्वीकृति पत्र और लेनदेन का विवरण अपलोड करेगा।

vi राज्य वन विभाग द्वारा निधियों का उपयोग निर्धारित वित्तीय प्रक्रियाओं और संबंधित संघ राज्य क्षेत्र/राज्य सरकार द्वारा अपनाए गए नियमों का पालन करते हुए किया जाएगा, जिसमें शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृतियां भी शामिल होंगी।

vii. उपयोग प्रमाण पत्र, व्यय विवरण और भौतिक प्रगति रिपोर्ट एसएनओ द्वारा प्रशासक को किसी भी आगामी किश्तों के जारी होने से पहले अंतिम निधि जारी करने पर प्रस्तुत की जाएगी।

viii. प्रशासक (आईसीएफआरई) को जीसीपी पोर्टल में वैधता और डेटा प्रामाणिकता के लिए पर्याप्त सुरक्षा और संरक्षण तंत्र सुनिश्चित करना चाहिए।

ix. प्रशासक, नामित एजेंसी, रजिस्ट्री, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और जानकारी एवं डेटा प्लेटफॉर्म की गतिविधियों की लेखापरीक्षा प्रत्येक तीसरे वित्तीय वर्ष के अंत में एक वर्ष की अवधि के भीतर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों द्वारा किया जाएगा, जिन्हें संचालन समिति की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

x. ग्रीन क्रेडिट नियम 2023 के उप-नियम (1) में निर्दिष्ट लेखापरीक्षक अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रशासक को प्रस्तुत करेगा। प्रशासक लेखा परीक्षा रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर केंद्र सरकार को लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

II. वित्तीय और लेखांकन प्रक्रियाएं

i. प्रशासक उचित लेखा तंत्र को अपनाने और वित्तीय पारदर्शिता बनाए रखने के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा विधिवत सूचीबद्ध एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म को नियुक्त करेगा। प्रशासक द्वारा सभी आवश्यक वित्तीय विवरण और रिकॉर्ड रखे जाएंगे।

ii. समवर्ती लेखांकन के लिए अनुमोदित सीएजी पैनल से प्रशासक द्वारा नियुक्त चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म सीएजी द्वारा अनुमोदित लेखांकन मानकों के अनुसार लेखांकन प्रारूप भी स्थापित करेगी।

III. लेखापरीक्षा व्यवस्था

i. प्रशासक द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा विधिवत सूचीबद्ध चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्मों में से एक सांविधिक लेखा परीक्षक को नियुक्त किया जाएगा। सांविधिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति को आईसीएफआरई के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

ii. प्रशासक जी.सी.पी. के अंतर्गत आने वाली पिछले वर्ष की निधियों का अगले वर्ष के अधिकतम जून तक संकलन करेगा और सीएजी मानके लेखाकरण के अनुसार निम्नलिखित बातों को दर्शाएगा:

i वार्षिक लेखा विवरण

ii. प्राप्ति एवं भुगतान लेखा;

iii. आय और व्यय लेखा; और

iv. बैलेंस शीट

iii. लेखा परीक्षक जी.सी.पी. के लेखाओं पर एक वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें प्रशासक की वित्तीय विवेकशीलता और उनके लेखा परीक्षा के परिणामों पर सामान्य या विशिष्ट टिप्पणियां, जैसा कि वे आवश्यक समझें, होंगी।

iv. लेखापरीक्षित लेखाओं को आईसीएफआरई के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के समक्ष रखा जाएगा। लेखापरीक्षित लेखाओं की एक प्रति मंत्रालय को प्रस्तुत की जाएगी।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

ह/-

(डॉ. सत्येन्द्र कुमार)
निदेशक (एचएसएमडी)
ईमेल:satyendra.kumar07@nic.in
दूरभाष नं.: 011-20819291

सेवा में,

1. महानिदेशक, आईसीएफआरई, देहरादून
2. सभी राज्यों/यूटीएस के पीसीसीएफ/ एचओएफएफ

प्रतिलिपि:

1. सचिव के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव/वन महानिदेशक एवं विशेष सचिव के प्रधान निजी सचिव
2. जीसीपी के प्रभारी अपर सचिव/संयुक्त सचिव
3. अपर वन महानिदेशक (एफसी)

अनुलग्नक III

ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम - भूमि खंड के पंजीकरण/अनुमोदन की स्थिति और सीपीएसयू द्वारा भूमि खंड का चयन

		पंजीकृत भूमि खंड		**आईसीएफआरई द्वारा अनुमोदित भूमि खंड**		**सीपीएसयू द्वारा चयनित भूमि खंड**	
क्र. सं.	**राज्य**	**संख्या**	**क्षेत्र (हेक्टेयर)**	**संख्या**	**क्षेत्र (हेक्टेयर)**	**संख्या**	**क्षेत्र (हेक्टेयर)**
1.	असम	10	454	10	454	10	454
2.	बिहार	41	3023.72	11	770	11	770
3.	छत्तीसगढ	87	1845.92	46	1028	46	1028
4.	गुजरात	342	6761.21	268	5299.25	248	4836.03
5.	झारखंड	83	2641.73	17	571.05	17	571.05
6.	मध्य प्रदेश	229	10648.2	153	7245.29	101	4519.49
7.	महाराष्ट्र	76	1180	70	1113	45	756
8.	ओडिशा	62	627	21	230	21	230
9.	राजस्थान	16	883	10	390	10	390
10.	तमिलनाडु	159	4236.71	88	1754.95	24	1155.23
11.	तेलंगाना	77	1738.02	69	1564.02	41	1264
12.	उत्तर प्रदेश	67	883.96	49	525.72	48	518.72
13.	उत्तराखंड	11	200.03	3	57.5	3	57.5
	कुल योग	**1260**	**35123.5**	**815**	**21002.78**	**625**	16550.02

16 जुलाई 2024 तक बिहार राज्य के लिए भूमि खंड की जिलावार स्थिति

क्र.सं.	पंजीकरण संख्या	ज़िला	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	स्थिति
1	406	औरंगाबाद	85.00	अस्वीकृत
2	407	औरंगाबाद	75.00	अस्वीकृत
3	352	औरंगाबाद	85.00	अस्वीकृत
4	1248	बांका	55.18	स्वीकृत
5	1247	बांका	55.18	स्वीकृत
6	289	बांका	110.00	अस्वीकृत
7	320	बांका	55.00	अस्वीकृत
8	322	बांका	55.00	अस्वीकृत
9	342	बांका	110.00	अस्वीकृत
10	362	बांका	110.00	अस्वीकृत
11	368	बांका	55.18	अस्वीकृत
12	369	बांका	55.18	अस्वीकृत
13	1246	बांका	110.00	स्वीकृत
14	1403	गया	105.00	जांच की जा रही है
15	1404	गया	108.00	जांच की जा रही है
16	317	गया	100.00	अस्वीकृत
17	319	गया	100.00	स्वीकृत
18	363	गया	100.00	अस्वीकृत
19	284	जमुई	100.00	अस्वीकृत
20	285	जमुई	80.00	अस्वीकृत
21	1222	जमुई	100.00	स्वीकृत
22	1345	कैमूर	51.00	स्वीकृत
23	1406	कैमूर	50.00	जांच की जा रही है
24	1405	कैमूर	70.00	जांच की जा रही है
25	312	कैमूर	100.00	स्वीकृत
26	313	कैमूर	35.00	अस्वीकृत
27	244	मुंगेर	50.00	स्वीकृत
28	243	मुंगेर	100.00	स्वीकृत
29	1268	नवादा	62.00	जांच की जा रही है

30	245	नवादा	62.00	अस्वीकृत
31	246	नवादा	68.00	अस्वीकृत
32	247	नवादा	55.00	अस्वीकृत
33	353	नवादा	62.00	अस्वीकृत
34	354	नवादा	70.00	अस्वीकृत
35	355	नवादा	55.00	स्वीकृत
36	360	नवादा	70.00	अस्वीकृत
37	1267	नवादा	55.00	स्वीकृत
38	282	रोहतास	50.00	स्वीकृत
39	30	रोहतास	50.00	अस्वीकृत
40	283	रोहतास	50.00	अस्वीकृत
41	370	रोहतास	50.00	अस्वीकृत